न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०
पीठासीन अधिकारी
काना राम मीणा,
(RJS)
निर्णय दिनांक :– 30.03.2026
आपराधिक प्रकरण सं. 50/2026
सीआईएस नं. 319/2016
CNR No. RJBR020017682016
एफआईआर सं. 29/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 326 भा0दं0सं0
PART- I

A

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. रामबिलास पुत्र छीतरलाल निवासी उल्थी थाना बारां सदर जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश दूबे

B

अपराध की दिनांक		18.01.2016
एफआईआर की दिनांक		18.01.2016
आरोप पत्र की दिनांक		30.07.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		31.08.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		11.10.2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		30-03-2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	30-03-2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः—

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/ अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	रामबिलास	25.02.2016	03.03.2016	341, 323, 324, 326 भा0दं0सं0	दोषसिद्ध	पैरा नंबर 32 पर अंकितानुसार	25.02.2016 से 03.03.2016

PART— II

साक्षियों की सूची— अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	घासीलाल	फरियादी
PW2	मुकेश	ताईद चश्मदीद वाका
PW3	विजय सिंह	ताईद चश्मदीद वाका
PW4	रामप्रसाद	ताईद चश्मदीद वाका
PW5	हजारीलाल	ताईद नक्शा मौका व फर्द जप्ती साफी
PW6	लालचंद	ताईद फर्द जप्ती अलाएजरब व बरामदस्थल एवं गिरफ्तारी
PW7	जगदीशचंद	ताईद फर्द जप्ती अलाएजरब व बरामदस्थल एवं गिरफ्तारी
PW8	रामलाल	ताईद फर्द जप्ती साफी
PW9	डॉक्टर ओमप्रकाश मालव	चिकित्सीय साक्षी
PW10	जहीर अब्बास अंसारी	ताईद एक्सरे करना
PW11	महावीर प्रसाद	हालात तफ्तीश

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 11.10.18 PW1	पर्चा बयान
2	Ex P2 11.10.18 PW1, PW5, PW8, PW11	नक्शा मौका
3	Ex P3 11.10.18 PW3	पुलिस बयान
4	Ex P4 19.01.19 PW5, PW8, PW11	फर्द जप्ती साफी
5	Ex P5 06.07.22 PW6, PW7, PW11	फर्द गिरफ्तारी
6	Ex P6 06.07.22 PW6, PW7, PW11	फर्द जप्ती पाईप
7	Ex P7 06.07.22 PW6, PW7, PW11	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
8	Ex P8 11.11.22 PW9	चोट प्रतिवेदन
9	Ex P9 11.11.22 PW9, PW10	एक्सरे कवर नोट
10	Ex P10 लगायत Ex P13 11.11.22 PW9, PW10	एक्सरे प्लेट
11	Ex P14 16.02.26 PW11	धारा 27 की सूचना
12	Ex P15a 16.02.26 PW11	मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रति

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	आर्टिकल 01		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना सदर बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 341, 323, 324, 326 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.01.2016 को फरियादी घांसीलाल का पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 इस आशय का लाकर पेश किया गया है कि वह दिनांक 18.01.2016 की शाम करीब 04 बजे वह अपने मकान के सामने बैठा था। उसके पडौसी रामबिलास उसके पडौस में खेडी पकडने का विवाद चल रहा था। उसने कई बार रामबिलास से खेडी डालने के लिए मना किया परंतु वह नहीं माने। इसी बात को लेकर रामबिलास हाथ में लोहे का कूटिया लेकर आया तथा उसके बैठे हुए के कुटिया की सामने सिर में मारी जिससे खून निकल आया। वह डर के मारे वहां से जाने लगा तो रामबिलास का लडका बंटी हाथ में लोहे का पाईप लेकर आया जिसने उसे आडे फिरकर रोक लिया तथा उसके पास के लोहे के पाईप की उसके दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर मारी तथा फिर दुबारा रामबिलास ने दूसरी चोट बांए हाथ के अंगुठे पर मारी जिससे उसके हाथ में खून निकल आया। उस समय वहां पर रामप्रसाद मीणा व मुकेश मौजूद थे जिन्होंने उसका बीच–बचाव किया व सारी घटना देखी है। फिर उसे वहां से रघुवीर व भंवरसिह दोनों मोटरसाईकिल से ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल बारां लेकर आए............इत्यादि।

3. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 29/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 326 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 341, 323, 324, 326 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में मुल्जिम को झूंठा व रंजिशवंश फंसाया गया है, धारदार हथियार प्रकरण में जप्त नहीं किया गया है, मुल्जिम ने कोई घटना कारित नहीं की है,

नक्शा मौका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, प्रकरण में जप्तशुदा साफी साक्ष्य में पेश नहीं की गई है एवं जो हथियार जप्त किया गया है वह पाईप किया गया है जबकि मुल्जिम के द्वारा कुटिया से मारना रिपोर्ट व साक्ष्य में परिवादी ने बताया है, गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.01.2016 को समय शाम के 04.00 बजे के लगभग गांव उल्थी मे फरियादी घांसीलाल के मकान के बाहर फरियादी का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंद व धारदार हथियार से सिर व हाथ में प्रहार कर व मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर (घोर) उपहतियां कारित की। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 घांसीलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 2 साल पहले की बात है। शाम को करीब 4 बजे वह उसके घर पर बैठा था। फिर वहां पर रामबिलास आया और आते ही उसने कूटियां से उसके हाथ की अंगुली पर मारा और अंगूठे पर मारा जिससे अंगूठा कट गया और सर पर मारी जिससे उसके टांके आए थे। फिर मुकेश और विजयसिंह आए जिन्होंने बीच–बचाव किया। फिर उसे वहां से सरकारी अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में पुलिस आई थी जहां उसके पुलिस ने बयान लिए थे। पर्चा बयान प्रदर्श पी1 हैए जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका मेडिकल व एक्स रे भी हुआ था। बाद में पुलिस मौके पर आई थी मौका मुआयना देखा था व बनाया था। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुकेश ने बीच–बचाव कराया था। उनकी घटना से पहले रेवड़ी के मामले को लेकर रंजिश चल रही है। उसने अस्पताल में पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 बोलकर स्वयं ने लिखाए थे और उसने पढ़कर प्रदर्श पी 1 पर ए से बी हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी 1 का सी से डी भाग गलत लिखा है, उसने बंटी मीणा के द्वारा मारना नहीं लिखाया। उसे मुकेश और विजयसिंह अस्पताल लेकर आए थे। प्रदर्श पी 1 का ई से एफ भाग में रघुवीर सिंह व भंवर सिंह द्वारा घायल अवस्था में अस्पताल लाना गलत लिखा है। घटनास्थल पर खून गिरा था। पुलिस को नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाते समय खून दिखाया था। घटनास्थल

से पुलिस ने खुरचकर खून निकाल लिया था व सील किया था। प्रदर्श पी 2 में खून बाबत् नहीं लिखा उसका कारण पुलिस बता सकती है। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को लिखवाया था। बंटी मीणा के हाथ में मारने से उसके 2 जगह चोट आई थी। दोनों हाथों पर चोट बंटी ने मारी थी। बंटी मीणा के हाथ में लोहे का पाईप था। पाईप लोहे का गोल होता है जो अंदर से खाली होता है। यह सही है कि उसने मुख्य परीक्षा में बंटी मीणा का नाम नहीं बताया क्योंकि आज पुलिस बयान डी 1 पढ़कर सुनाने से उसे बंटी का नाम याद आया। वह खेती करता है। खेत में जो हांकते है जिसे बक्खर कहते हैं उसमें नुकीले धारदार ब्लेड लगे होते है। यह कहना गलत है कि उसके खेती करते हुए बक्खर पर गिरने से चोट लगी हो।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 मुकेश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 2 साल पहले की बात है। वह माल से आ रहा था, घांसीलाल के मकान के आगे पहुंचा तो रामबिलास घासीलाल के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा कर रहा था। उसके पास कूटियां था जिससे घासीलाल के एक चोट सर में, एक अंगूठे में, एक दूसरे हाथ की अंगुली में मारी थी, जिससे खून निकल आए थे। फिर रामबिलास वहां से मार के भाग गया। फिर घ ासीलाल को उठाकर बारां अस्पताल लेकर आए।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह घासीलाल जी के परिवार का ही है। पुलिस में उसके बयान हुए थे। यह सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में उसने लोहे के पाईप से मारना लिखाया था। आज उसने मुख्य परीक्षा में भूल से कूटियां से मारपीट करना बता दिया। वह जब घटनास्थल पर गया तो लोहे के पाईप से तीन चोटें लगी हुई देखी थी। जिस लोहे के पाईप से मारपीट की वो एक हाथ का था, कोहनी तक इशारा करके बताया। बंटी मीणा लड़ाई के वक्त नहीं था। लड़ाई के बाद आया था। रामबिलास के हाथ पर लोहे के पाईप से दो चोटें आई थी। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी हो और वह भतीजा होने के कारण झूठा बयान दे रहा है। यह सही है कि घासीलाल जी उसके काकाजी है। उसने घटनास्थल पर बीच बचाव और मुलजिम को पकड़ा धकड़ी नहीं की।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–03 विजय सिंह व पी.डब्ल्यू–04 रामप्रसाद के द्वारा अपने–अपने बयानो में घटना की ताईद नहीं करते हुये उक्त गवाहान प्रकरण में पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुए है।

14. गवाह पी0डब्ल्यू–05 हजारीलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके सामने पुलिस आई थी। पुलिस ने मौका मुआयना देखा था व बनाया था। पुलिस घ ासीलाल के मकान के वहां आई थी। मौका मुआयना घासीलाल के साथ मारपीट हुई थी

उस बात का बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती एक इस्तेमाली स्यापी जब्त की थी, जो प्रदर्श पी4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

15. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 02 ना उसे पढकर सुनाया और ना ही उसने पढा। उसने केवल हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है उसे नहीं पता। उसने तो हस्ताक्षर करने से मना किया था पर उन लोगों ने कहा कि हस्ताक्षर कर दे तेरी तारीख नहीं पडेगी।

16. गवाह पी0डब्ल्यू–06 लालचंद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.02.16 को थाना सदर बारां में एचसी के पद पर था। उस दिन मुकदमा नं० 29/16 धारा 326/34 आईपीसी में अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद द्वारा मुकदमें में वांछित मुल० रामबिलास को पुलिस चौकी कोयला परिसर में जरिये फर्द प्रदर्श पी० 5 उसके व जगदीश के सामने गिरफ्तार किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है। मुल० की धारा 27 की सूचना के बाद मुल० के कब्जे से एक लौहे का पुराना इस्तेमाली पाईप 3 फीट 8 इंच का जरिये फर्द प्रदर्श पी० 6 जप्त किया। फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी0 7 है। इन दोनों पर ए से बी उसके हस्ता० है।

17. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी चौकी पर ही हुई थी। मुल्जिम पुलिस चौकी पर कैसे आया यह आईओ ही बता सकता हैं। यह सही है कि जप्तशुदा पाईप आज न्यायालय में नहीं है। पाईप मुल्जिम के मकान से बरामद किया था। मकान खुला हुआ था ताला नहीं लगा था। स्वतंत्र गवाह बुलाने का अगर प्रयास किया हो तो आईओ बता सकता है। यह सही है कि वह आईओ का अधीनस्थ कर्मचारी है। यह गलत है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हो और वह झूठे बयान दे रहा हो।

18. गवाह पी0डब्ल्यू–07 जगदीशचंद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.02.16 को थाना सदर बारां में एचसी के पद पर था। उस दिन मुकदमा नं० 29/16 धारा 326/34 आईपीसी में अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद द्वारा मुकदमें में वांछित मुल० रामबिलास को पुलिस चौकी कोयला परिसर में जरिये फर्द प्रदर्श पी० 5 उसके व लालचंद के सामने गिरफ्तार किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ता० है। मुल० की धारा 27 की सूचना के बाद मुल० के कब्जे से एक लौहे का पुराना इस्तेमाली पाईप 3 फीट 8 इंच का जरिये फर्द प्रदर्श पी० 6 जप्त किया। फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी० 7 है। इन दोनों पर सी से डी उसके हस्ता० है।

19. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी चौकी पर ही हुई थी। मुल्जिम पुलिस चौकी पर कैसे आया यह आईओ ही बता सकता है। यह सही है कि जप्तशुदा पाईप आज न्यायालय में नहीं है। पाईप मुल्जिम के मकान से बरामद किया था। मकान खुला हुआ था ताला नहीं लगा था। स्वतंत्र गवाह बुलाने का अगर प्रयास किया हो तो आईओ बता सकता है। यह सही है कि वह आईओ का अधीनस्थ कर्मचारी है। यह गलत है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हो और वह झूठे बयान दे रहा हो।

20. गवाह पी0डब्ल्यू–08 रामलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 4–5 साल पहले रामबिलास व घांसीलाल के झगडा हुआ था जिसका पुलिस मौका देखने गई थी व नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी० 2 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ता० है। उसी समय पुलिस ने घांसीलाल की एक साफी खून अलूदा जरिये फर्द प्रदर्श पी० 4 उसके व हजारीलाल के सामने जप्त की थी जिस पर सी से डी उसके हस्ता० है।

21. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि फर्दों में क्या लिखा है उसे पता नहीं है। उसे किसी ने पढकर नहीं सुनाया था। प्रदर्श पी 02 व 04 पर उसने मौके पर ही हस्ताक्षर किए थे। फरियादी उसका साला है। वह बेवडिया का रहने वाला है। घटना दूसरे गांव की है। फर्दों पर हस्ताक्षर कितने बजे किए थे आज उसे याद नहीं है। यह गलत है कि वह फरियादी का जीजा होने के कारण कागजों पर हस्ताक्षर किए हो और उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की हो।

22. गवाह पी0डब्ल्यू–09 डॉक्टर ओमप्रकाश मालव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.01.2016 को वह राजकीय चिकित्सालय बारों में मेडिकल जूरिस्ट के पद पर था। उस दिन थाना बारा सदर के प्रतिवेदन पर मजरूब घासीलाल पुत्र भैरूलाल के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयाना किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटे थी। चोट न० 1 कटा हुआ घाव। 13 गुना 1 सेमी। सिर के बीच मे था। चोट न0 2 कटा हुआ घाव। 2 गुना 0.5 सेमी। बायें हाथ के अगूंठे पर था। चोट न० 3 कटा हुआ घ ााव । 3 गुना 0.5 सेमी। दायीनी हाथ की छोटी उंगली पर था। उक्त सभी चोटे धारधार हथियार से कारित थी। चोटो की प्रकृति के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी थी। बाद एक्स रे चोट न० 1 साधारण प्रकृति की थी। तथा चोट न0 2 व 3 गंभीर प्रकृति की पायी गयी । चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ बाद एक्सरे उसकी राय है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी एक्सरे बाबत उसकी राय है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 10 लगायत पी 13 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

23. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि वह रेडियोलोजिस्ट नहीं है। यह सही है कि हड्डीयों के मामले में विशेषज्ञ ओर्थोपिडिक सर्जन या रेडियोलोजिस्ट होते हैं। उसने मौखिक रूप से ओर्थोपिडिक सर्जन को एक्सरे दिखाए थे। यह सही है कि किसी भी मेडिकल एक्सरे या एमएलएसी में ओर्थोपिडक सर्जन व रेडियोलोजिस्ट के हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना वंश गिरे और वहां कोई धारदार कृषि यंत्र पडा हो तो प्रदर्श पी 08 की चोटों के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

24. गवाह पी0डब्ल्यू–10 जहीर अब्बास अंसारी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 19.01.2016 को राजकीय चिकित्सालय बारां में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने डॉ० ओमप्रकाश मालव की उपस्थिति व निर्देशन में मजरूब घांसीलाल पुत्र भैरूलाल के सिर, बांया अंगूठा तथा राईट लिटिल फिंगर के एक्स.रे किये थे। जिसके एक्स.रे प्लेट नंबर 51/19.01.2016 है। एक्स.रे कवर नोट प्रदर्श पी.9 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्स.रे प्लेट प्रदर्श पी.10 लगायत प्रदर्श पी.13 है। जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

25. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यह कहना सही है कि फैक्चर के बाबत् जानकारी देने में वह सक्षम नहीं है। कवर नोट पर जो पर्ची चस्पा है वो उसे डॉक्टर साहब ने दी थी उस आधार पर उसने चस्पा की थी।

26. गवाह पी0डब्ल्यू–11 महावीर प्रसाद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 18.01.2016 को चौकी कोयला थाना बारां सदर में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। थाने पर दर्ज एफआईआर नं 29/2016 धारा 341, 323, 34 आईपीसी का अनुसंधान उसके सुपुर्द किया गया था। दौराने अनुसंधान फरियादी की निशादेही से घ टनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार की थी जो प्रदर्श.पी 02 है जिस पर जी से एच तीन जगह उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में बयान फरियादी श्री घांसीलाल गवाह श्री रामप्रसाद, मुकेश, विजय सिंह के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये थे। फरियादी से निशादेही से वक्त घटना पहनी साफी जब्त कर कब्जे पुलिस दी थी। फर्द जब्ती प्रदर्श.पी 04 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर उसकी सील मोहर है। मजरूब की एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त की थी। एमएलसी रिपोर्ट में एमओ साहब द्वारा एक चोट ग्रिवियस सार्प देने पर धारा 326 आईपीसी में एड की गई थी। बाद अनुसंधान प्रकरण में मुलजिम रामबिलास पुत्र छीतरलाल मीणा को जर्ये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श.पी 05 गिरफ्तार किया था। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम द्वारा स्वेच्छापूर्वक हथियार

बाबत् सूचना देने पर फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। जो प्रदर्श.पी 14 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिम की दफा 27 की सूचना के आधार पर प्रकरण में अलाईजरब एक लोहे का पाईप जर्ये फर्द प्रदर्श.पी 06 जब्त कर शील्डमोहर किया। जिसे मार्क बी दिया। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर उसकी नमूना सील अंकित है। जिसके दोनों सिरे चपटे हो रहे थे। जिससे हथियार की प्रकृति धारदार आने की संभावना रहती है। हथियार बरामदगी की नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श.पी 07 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिम की पूछताछ रिपोर्ट व आपराधिक रिकॉर्ड शामिल पत्रावली की। प्रकरण में जब्तशुदा लोहे का पाईप उसके द्वारा मालखाना इंचार्ज रामप्रसाद हैड कानि को जमा मालखाना करने हेतु सुपुर्द किया जिन्होंने मालखाना रजिस्टर क्रमांक 411/51/2016 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। जिस पर ए से बी मुकदमें की इबारत अंकित है। सी से डी जमा करने वाले के हस्ताक्षर है। जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श.पी 15ए शामिल पत्रावली है। बाद अनुसंधान से मुलजिम रामबिलास के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 326 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली चालान हेतु एसएचओ को सुपुर्द करी। प्रकरण में जब्तशुदा अलाइजरब हथियार एक लोहे का पाईप न्यायालय के समक्ष माल शील्डशुदा हालात में पेश किया गया जिसे न्यायालय की इजाजत से खोलने की अनुमति दी गई। शील्ड टूटी हुई अवस्था में थी लेकिन धागे से बंधा हुआ था। जो आर्टिकल 01 है जिस पर ए से बी भाग में एफएसएल जमा करवाने के नम्बर अंकित है।

27. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि पर्चा बयान उसके सामने दर्ज नहीं है। उसके पास एफआईआर दर्ज होकर आई थी। यह कहना सही है कि मजरूब घांसीलाल बयान देने की स्थिति में था या नहीं इसकी डॉ. से कोई राय ली हो तो उसकी रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है। नक्शा मौका घटना के 5–6 दिन बाद बनाया था। घटनास्थल आम रास्ता है जहां लोग आते–जाते रहते है। घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए। यह कहना सही है कि घटनास्थल पर कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला। हथियार की जब्ती के समय उन्होंने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। वहां कोई गवाह नहीं थे। यह कहना सही है कि पूरे बयान गवाहों के कथनानुसार लिये है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा हथियार जैसे हथियार आम आदमी के घर पर मिल जाते है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा मकान में कितनी खिडकी व दरवाजे है यह वह नहीं बता सकता। मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस चौकी से ही हुई थी। पुलिस चौकी पर मुलजिम तलबीशुदा स्वयं उपस्थित आया। जब मकान पर जब्ती करने गए तब मकान

खुला हुआ था। यह कहना गलत है कि रेवडी का विवाद होने के कारण झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई हो।

28. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में परिवादी घांसीलाल के द्वारा पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 इस आशय का दर्ज करवाया गया है कि दिनांक 18.01.2016 को शाम के करीब 04 बजे के आस–पास वह मकान के सामने जब बैठा हुआ था तब उसका पडौसी रामविलास जिससे रेवडी पटकने का विवाद चल रहा है वह रेवडी पटकने की बात को लेकर हाथ में लौहे का कूटिया लेकर आया और उसके बैठे हुए के कूटिया की सामने सिर में मारी जिससे खून निकल आया, डर के मारे वहां से भागने लगा तो रामविलास का लडका बंटी मीणा हाथ में लौहे का पाईप लेकर आया जिसने उसे रोककर उसके पाईप की दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर मारी और रामविलास ने दूसरी चोट बांए हाथ के अंगूठे पर मारी जिससे उसके हाथ में खून निकल आया और वहां पर रामप्रकाश, मुकेश गुर्जर उपस्थित थे जिन्होंने घटना देखी व बीच–बचाव करते हुए छुडाया एवं वहां से रघुवीर व भंवर सिंह मोटरसाईकिल से ईलाज हेतु अस्पताल लेकर जाने के बाबत् पेश किया गया है जिस संबंध में घांसीलाल पी. डब्ल्यू–01 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में रामविलास के द्वारा कुटिया से उसके हाथ की अंगुली पर मारने व अंगूठे पर मारने जिससे अंगूठा कट जाने और सिर मारी जिससे टांके आने, मुकेश व विजय सिंह आए जिनके द्वारा बीच–बचाव करवाने व पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 दर्ज करवाने, मेडिकल एक्सरे होने, नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर ए से बी हस्ताक्षर होते हुए उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि उनके घटना से पहले रेवडी के मामले को लेकर रंजिश चलने, प्रदर्श पी 01 का सी से डी भाग गलत लिखा होने एवं उसने बंटी मीणा के द्वारा मारना नहीं लिखाने, उसे मुकेश व विजय सिंह अस्पताल लेकर आने, प्रदर्श पी 01 के ई से एफ भाग में रघुवीर सिंह व भंवरसिंह के द्वारा घायल अवस्था में अस्पताल लेकर आना गलत लिखा होने, पुलिस को नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाते समय खून दिखाने, खून बाबत् उसमें लिखा हुआ नहीं होने एवं दोनों हाथों पर चोट बंटी के द्वारा मारने, बंटी मीणा के हाथ में लौहे का पाईप होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में परिवादी के द्वारा विजय सिंह के द्वारा भी बीच–बचाव करना साक्ष्य में प्रकट किया है लेकिन विजय सिंह का नाम पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 में नहीं होना प्रकट होता है। जहां तक अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी ने केवल जिरह में बंटी मीणा के द्वारा दोनों हाथों पर पाईप की मारने के बाबत् साक्ष्य दी है जबकि बंटी मीणा प्रकरण में मुल्जिम नहीं होना प्रकट होता है तथा पर्चा बयान प्रदर्श पी

01 का सी से डी भाग जो लिखा हुआ है उसे गलत होना स्वयं परिवादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। इस प्रकार पर्चा बयान के सी से डी भाग में बंटी द्वारा लोहे के पाईप से मारने के बाबत् जो लिखा हुआ है उसे परिवादी द्वारा गलत होना साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में दोनों हाथों पर जो चोट कारित की गई है वह बंटी मीणा के द्वारा कारित करना परिवादी ने प्रकट किया है ना कि मुल्जिम के द्वारा जबकि बंटी मीणा प्रकरण में मुलजिम नहीं होना प्रकट होता है। जहां तक प्रकरण में मुल्जिम के द्वारा लौहे के कूटिये की मारना परिवादी ने पर्चा बयान व साक्ष्य में बताया है जबकि प्रकरण में जो हथियार प्रदर्श–पी 06 के माध्यम से जप्त किया गया है वह लोहे का पुराना इस्तेमाली पाईप जप्त किया जाना प्रकट होता है एवं उक्त पाईप से मारपीट बंटी के द्वारा करना परिवादी ने अपनी जिरह के दौरान प्रकट किया है जबकि पाईप से मुल्जिम ने कोई मारपीट नहीं करना परिवादी की साक्ष्य से प्रकट होता है। इस प्रकार परिवादी के द्वारा हथियार के संबंध में ही विरोधाभासी साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है तथा इसी प्रकार प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में मुकेश पी.डब्ल्यू–02 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है जिसने अपने बयानों में कुटिये से मुल्जिम के द्वारा मारने, वह घांसीलाल के परिवार का ही होने एवं आज उसने मुख्य परीक्षा में भूल से कूटिये से मारपीट करना बता देने जबकि पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 में उसने लौहे के पाईप से मारना लिखाने व बंटी मीणा लडाई के वक्त नहीं होने, लडाई के बाद आने, रामविलास के द्वारा परिवादी के हाथ पर लौहे के पाईप से दो चोटें मारने, घांसीलाल उसके काकाजी होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा भी हथियार के बाबत् भी विरोधाभासी साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है, क्योंकि उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में कूटिये से मारना बताया है जबकि उक्त गवाह ने जिरह में पाईप से मारना बताया है, जिससे हथियार के संबंध में ही विरोधाभासी साक्ष्य दिया जाना उक्त गवाह के बयानों से प्रकट होता है तथा उक्त गवाह परिवादी के परिवार का ही होते हुए परिवादी उक्त गवाह का काकाजी होना उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रकट होता है। इसी प्रकार गवाह विजय सिंह जिसे परिवादी ने अपने बयानों में प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में पेश किया है जबकि उसका नाम पर्चा बयान प्रदर्श–पी 01 में नहीं होना प्रकट होता है तथा उक्त गवाह पी.डब्ल्यू–03 के रूप में परीक्षित होते हुए घांसीलाल के साथ रामविलास के द्वारा मारपीट करने व उसके सामने घटना नहीं होने, उसने बाद में सुना होने एवं उसने किससे सुना क्या सुना पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उक्त गवाह ने हथियार के बाबत् कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाना प्रकट होता है तथा उसके सामने घटना नहीं होने के तथ्य को उक्त गवाह ने अपने बयानों में स्वीकार किया है, केवल उक्त गवाह ने घटना घटित होने के बाबत् सुनने

के संबंध साक्ष्य दी है जबकि किससे सुना इस बाबत् कोई जानकारी उक्त गवाह को नहीं उक्त गवाह के बयानों से प्रकट होता है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–04 रामप्रसाद जो कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने भी अपने बयानों में गांव वालों से पता चलने कि घांसीलाल के साथ रामविलास के द्वारा मारपीट करने के बाबत् साक्ष्य देते हुए अपने बयानों में घटना की ताईद नहीं कर पक्षद्रोही घोषित होना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–05 हजारीलाल के द्वारा भी फर्द जप्ती इस्तेमाली स्यापी प्रदर्श पी 04, नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर हस्ताक्षर होने व प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 की ताईद नहीं किया जाना प्रकट होता है एवं गवाह पी.डब्ल्यू–06 लालचंद जो कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी 06 व बरामदगीस्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 07 का गवाह है उक्त गवाह ने अपने बयानों में पाईप प्रदर्श पी 06 के माध्यम से जप्त करने के बाबत् साक्ष्य देते हुए जिरह में जप्तशुदा पाईप आज न्यायालय में नहीं होने, पाईप मुल्जिम के मकान से बरामद करने, मकान खुला हुआ होने व ताला नहीं लगा होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार फर्द जप्ती का अन्य गवाह जगदीशचंद पी.डब्ल्यू–07 के रूप में परीक्षित होते हुए पाईप मुल्जिम के मकान से बरामद करने, मकान खुला हुआ होने व ताला लगा हुआ नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार गवाह जगदीशचंद व लालचंद के बयानों से जिस स्थान से लौहे के पाईप की बरामदगी की गई है वह स्थान खुला हुआ होना व उस पर ताला लगा हुआ नहीं होना उक्त गवाहान की साक्ष्य से प्रकट होता है तथा उक्त मकान मुल्जिम के संचेतन्य कब्जे में रहा हो इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होता है तथा स्वामित्व के संबंध में भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होता है जिसके अभाव में फर्द जब्ती प्रदर्श–पी 06 व बरामदगी नक्शा प्रदर्श–पी 07 की ताईद नहीं होना प्रकट होता है। इसी प्रकार पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 के अवलोकन से मुल्जिम के द्वारा कुटिये से मारना बताया है जबकि प्रदर्श पी 06 के माध्यम से जो हथियार जप्त किया गया है वह लौहे का पुराना इस्तेमाली पाईप जप्त किया जाना प्रकट होता है, जबकि पाईप से मारपीट करना परिवादी ने अपने बयानों में व पर्चा बयान में जाहिर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 06 व बरामदगीस्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 07 प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–08 रामलाल के द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 व स्यापी की जप्ती प्रदर्श पी 04 में क्या लिखा है पता नहीं होने, पढकर नहीं सुनाने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से प्रदर्श पी 02 व प्रदर्श पी 04 की ताईद नहीं होना प्रकट होती है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–09 डॉक्टर ओमप्रकाश मालव के द्वारा अपने बयानों में परिवादी के शरीर का मेडिकल परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श

पी 08 तैयार करने जिसमें कुल तीन चोटें सिर के बीच, बांए हाथ के अंगुठे व दांए हाथ की छोटी अंगुली पर आने, चोट नंबर 01 साधारण प्रकृति की होने व चोट नंबर 02 व 03 बांए हाथ के अंगुठे व दांए हाथ की छोटी अंगुली पर आने एवं उक्त चोटें गंभीर प्रकृति की व धारदार हथियार से आने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा स्वयं के बयानों में एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 09 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 10 लगायत प्रदर्श पी 13 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने धारदार हथियार से चोटें आना जाहिर किया है जबकि प्रदर्श पी 06 के माध्यम से जो माल जप्त किया गया है वह धारदार हथियार ना होते हुए लौहे का पाईप पुराना इस्तेमाली होना गवाहों के बयानों से व उक्त फर्द प्रदर्श–पी 06 व 07 के अवलोकन से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 06 जो मुर्तिब की गई है वह धारदार हथियार नहीं होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–10 जहीर अब्बास अंसारी के द्वारा मजरूब का एक्सरे कर एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 09 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 10 लगायत प्रदर्श पी 13 पर हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–11 महावीर प्रसाद जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में परीक्षित हुआ है उक्त गवाह ने अपने बयानों में लौहे का पाईप सील्ड शुदा हालत में टूटी अवस्था में पेश करते हुए धागे से बंधा हुआ आर्टिकल 01 के रूप में प्रदर्शित करवाने व जप्तशुदा मकान में कितनी खिडकी व दरवाजे है नहीं बता सकने एवं जब मकान पर जप्ती करने गए तब मकान खुला हुआ होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से फर्द जप्ती 06 व बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 07 की ताईद नहीं होना प्रकट होती है क्योंकि उक्त गवाह को बरामदशुदा स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा परिवादी ने कुटिये से मारपीट करना बताया, जबकि प्रदर्श पी 06 के माध्यम से लौहे का पुराना इस्तेमाली पाईप जप्त किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार उक्त गवाह महावीर प्रसाद ने अपने बयानों में जो प्रदर्श पी 06 के माध्यम से माल जप्त किया गया है उससे हथियार की प्रकृति धारदार आने की संभावना रहने, क्योंकि दोनों सिरे चपटे होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह ने प्रदर्श पी 06 के माध्यम से उक्त हथियार चपटा मुंह होने के कारण धारदार हथियार होने की संभावना के बाबत् साक्ष्य दी जबकि उक्त हथियार की प्रकृति धारदार नहीं होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है क्योंकि परिवादी द्वारा कूटीये से मारना पर्चा बयान व साक्ष्य में प्रकट किया है जबकि कूटिया प्रकरण में जब्त नहीं होना प्रकट होता है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा केवल प्रदर्श–पी 06 के माध्यम से जो हथियार जब्त किया गया है उसे केवल दोनों सिरे चपटे होने के कारण धारदार हथियार आने की संभावना के बाबत् साक्ष्य दी है जो संदिग्ध प्रकट होती है तथा फर्द जप्ती प्रदर्श

पी 06 की ताईद गवाह लालचंद व जगदीश के बयानों से नहीं होना प्रकट होती है क्योंकि जिस स्थान से बरामदगी की गई है वह स्थान खुला हुआ स्थान होते हुए मुल्जिम के संचतेन्य कब्जे में रहा हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होती है इस प्रकार फर्द जब्ती प्रदर्श–पी 06 संदिग्ध प्रकट होती है इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर धारा 324,326 आईपीसी के संबंध में परिवादी व अन्य के द्वारा कूटिये से मारना बताया है जबकि फर्द जब्ती प्रदर्श–पी 06 लोहे के पाईप का बनाया जाना प्रकट होता है जबकि उक्त हथियार धारदार हथियार नहीं होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है जिस संबंध में केवल अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने बयानों में संभावना जाहिर की है। इसी प्रकार जिस स्थान से उक्त हथियार बरामद किया गया है वह खुला हुआ स्थान होते हुए मुलजिम के कब्जे में नहीं होना साक्ष्य से प्रकट होता है। इस कारण प्रदर्श–पी 06 साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना प्रकट होती है। इस कारण पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर धारा 324,326 आईपीसी के संबंध में कोई साक्ष्य स्पष्ट रूप से पत्रावली पर दोषसिद्धि के बाबत् पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है जबकि परिवादी द्वारा हथियार के बाबत् ही विरोधाभासी साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है लेकिन मजरूब की चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 व एक्सरे प्लेट व एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 09 लगायत प्रदर्श पी 13 के रूप में पत्रावली पर पेश होना प्रकट होते हैं जिसके अवलोकन से समग्र साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रकट होता है कि मुल्जिम के द्वारा परिवादी के साथ कुंदाले से मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है लेकिन धारदार हथियार से उक्त चोटें धारा 324 व 326 भा.दं. सं. की चोटें मुल्जिम ने कारित की हो इस संबंध में जो हथियार प्रदर्श पी 06 के माध्यम से जप्त किया गया है वह लौहे का पाईप जप्त किया जाना प्रकट होता है जबकि परिवादी के द्वारा चोटें कुटिये से मारना बताया है जबकि कुटिया प्रकरण में जप्त नहीं किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में धारा 324 व 326 भा.दं.सं. की चोटों के संबंध में धारदार हथियार प्रकरण में जप्त नहीं होना व कोई साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण उक्त अपराध की धाराएं प्रमाणित नहीं होना प्रकट होती है लेकिन धारा 323, 341 भा.दं.सं. की हद तक प्रकरण को देखा जाए तो उस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होना प्रकट होती है जिस संबंध में परिवादी व अन्य गवाहान जो पेश हुए हैं उन्होंने मारपीट करने की पुष्टि अपने–अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है तथा चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 गवाह ओमप्रकाश मालव के द्वारा अपने बयानों में प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है। जिस संबंध में कोई खंडन मुलजिम की ओर से पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है तथा प्रकरण में जब्तशुदा स्यापी जो कि प्रदर्श–पी 04 के माध्यम से जब्त

की गई है वह भी साक्ष्य के दौरान पेश नहीं होना प्रकट होती है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 324, 326 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है लेकिन धारा 323, 341 भा0दं0सं0 में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

29. अतः अभियुक्त **रामबिलास** पुत्र छीतरलाल निवासी उल्थी थाना बारां सदर जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 324, 326 भा.दं.सं. के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भा0दं0सं0 में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–

30. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

31. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहा है और अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत् रिकॉर्ड भी नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित् प्रतीत होता है।

–:: दण्डादेश ::–

32. अतः अभियुक्त **रामबिलास** पुत्र छीतरलाल निवासी उल्थी थाना बारां सदर जिला बारां राज. को आरोपित अंतर्गत धारा 341, 323 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध घ

ाोषित किया जाता है। जिसके लिए अभियुक्त को तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– रूपये की राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करा दे कि वह इस अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश पायेगा, तब उसे परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 2,000/– रुपये (अक्षरे कुल दो हजार रूपए रूपये) अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किये जाते हैं। उक्त राशि में से आहत घांसीलाल को 1800/– रूपये बाद गुजरने मियाद अपील बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जावे। शेष राशि 200/– जमा राजकोष रहे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

33. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)